कमल कुमार बनाम बसन्तीलाल

दावा

प्र. सं. 91/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 7-4-22 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 11-4-22 को पेश हो।<br>दिलीप सिंह<br>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) | |
| 11-4-22 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-4-22 को पेश हो। | |
| 18-4-22 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप. अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21-4-22 को पेश हो। | |
| 21-4-22 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25-4-22 को पेश हो। | |
| 25-4-22 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-4-22 को पेश हो। | |
| 28.04.2022 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हो जांने से तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् के तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत हो जाने के फलस्वरूप पत्रावली की आदेशिका पर सहमति बाबत् हस्ताक्षर अंकित कर दिये जाने से वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् | No objection for partition proposal<br>28/4/22 |

—लगातार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | कमल कुमार बनाम बसन्तीलाल (लिखा) <br> हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज <br> दावा <br> क्र.न. - 91/2022 |
|---|---|
| | सुनी गई। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 707 / भू.अ. / 2022 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा ट्रेस को डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। <br><br> Rathore 20/04/22 <br> ( दिलीप सिंह ) <br> **सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)** <br> **श्रीमाधोपुर (सीकर)** <br><br> Signature Not Verified <br> Digitally signed by Dilip Singh <br> Date: 2022.05.10 10:24:34 IST <br> Reason: SelfAttested |

# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला– सीकर

## पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 91/2021 | 2021/147 | 18.08.2021 | 17.02.2022(प्रारम्भिक डिक्री) |

### उनवान प्रकरण

1. कमल कुमार पुत्र सीताराम उम्र 55 वर्ष
2. लोकेश कुमार पुत्र सीताराम उम्र 45 वर्ष
3. विमलेश कुमार पुत्र सीताराम उम्र 52 वर्ष
4. रघुवीर कुमार पुत्र सीताराम उम्र 40 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

**वादीगण**

बनाम्

1. बसन्तीलाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल उम्र 70 वर्ष
2. कमला देवी पत्नी भागीरथ प्रसाद उम्र 75 वर्ष
3. महेश पुत्र भागीरथ प्रसाद उम्र 48 वर्ष
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भागीरथ प्रसाद उम्र 45 वर्ष
5. शंकरलाल पुत्र भागीरथ प्रसाद उम्र 59 वर्ष
6. श्रीराम पुत्र भागीरथ प्रसाद उम्र 40 वर्ष
7. ओमप्रकाश पुत्र स्व. भोला उम्र 62 वर्ष
8. चिरंजीलाल पुत्र स्व. भोला उम्र 55 वर्ष
9. रमेश कुमार पुत्र स्व. भोला उम्र 50 वर्ष
10. प्रेम देवी पुत्री स्व. भोला उम्र 60 वर्ष
11. सुमित्रा पुत्री स्व. भोला उम्र 58 वर्ष
12. संतोष पुत्री स्व. भोला उम्र 56 वर्ष
13. किरोड़ीलाल पुत्र स्व. राधे[illegible]
14. हजारीलाल पुत्र स्व. राधेश्याम उम्र 56 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

15. धर्मपाल पुत्र स्व. राधेश्याम उम्र 54 वर्ष
16. रोहिताश पुत्र स्व. राधेश्याम उम्र 52 वर्ष
17. पवन कुमार पुत्र स्व. राधेश्याम उम्र 42 वर्ष
18. दौलत पुत्र स्व. राधेश्याम उम्र 40 वर्ष
19. किरण पुत्री स्व. राधेश्याम उम्र 55 वर्ष
20. कृपा पुत्री स्व. राधेश्याम उम्र 48 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

21. मक्खनलाल पुत्र जवाना जाति गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
22. भूमिधारक तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
23. उप पंजीयक, अजीतगढ़ जिला सीकर राज0
24. पटवारी, पटवार हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
25. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा चीपलाटा जिला सीकर

**प्रतिवादीगण**

**उपस्थित–**

**श्री अभिषेक कुमावत, वादीगण अभिभाषक।**
**श्री सरदार सिंह चौधरी, प्रतिवादी नं. 1 व 21 अभिभाषक**
**सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 22**

**<u>वादपत्र तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188</u>**
**<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>**

## –:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा संख्या 444 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445 रकबा 0.76 है0, खसरा संख्या 446 रकबा 0.70 है0, खसरा संख्या 447 रकबा 0.18 है0, खसरा संख्या 448 रकबा 0.06 है0, खसरा संख्या 449 रकबा 0.26 है0, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या 450 रकबा 0.27 है0, खसरा संख्या 451 रकबा 0.39 है0, खसरा संख्या 452 रकबा 0.35 है0, खसरा संख्या 453 रकबा 0.30 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.49 हैक्टेयर एवं कृषि भूमि खसरा संख्या 466 रकबा 0.31 है0 व खसरा संख्या 467 रकबा 0.55 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है, जिसमें वादीगण संख्या 1 ता 4 हिस्सा 1/16–1/16 प्रत्येक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 हिस्सा 1/30–1/30 प्रत्येक एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 हिस्सा 1/36–1/36 प्रत्येक एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 20 हिस्सा 1/48–1/48 प्रत्येक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बरान में वर्णित हिस्सानुसार वादीगण संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 की खातेदारी, कब्जे काश्त की शामलाती भूमियां है एवं सभी खातेदार इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बरान का मौके पर सभी सहकाश्तकारों ने बाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से में आई भूमियों पर काबिज काश्त व आबाद चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमियों का अभी तक कानूनन विधिक तकास्मा नही हुआ है। उक्त भूमियों पर सभी काश्तकार वादीगण संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 काबिज खातेदार काश्तकार है एवं हाल तक उक्त भूमियों का विधिक तकास्मा नही होने के कारण सभी खातेदारों का उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बरान के प्रत्येक इंच पर हक, अधिकार है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के संयुक्त कब्जे, काश्त व खातेदारी की भूमियां है व बिना विधिक तकास्मा कराये या उक्त भूमियों के रिकॉर्डेड खातेदारान की बिना अनुमति के किसी दीगर अनजान व्यक्ति को बेचान किया जाना न्यायसंगत नही होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य प्रतिव[illegible] मिलीभगत से प्रतिवादी संख्या 21 को बेचान कर दिया। अ[illegible] [illegible]ान की आड़ में उपरोक्त वर्णित भूमियों के विशिष्ट भू–भाग पर जब[illegible] अतिक्रमण कर भूमियों की [illegible]

दिलीप सिंह

(फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

किस्म परिवर्तन करते हुये कृषि से अकृषि कर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहे है, जबकि भूमियों का बिना विधिक तकास्मा करवाये किसी भी अजनबी को शामलाती खातेदारी की भूमियों में घुसने व काश्त करने या निर्माण आदि करने का कोई हक अधिकार नही है। फिर भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 जो कि धनबल व बाहुबल मे वादीगण से ज्यादा है, वादीगण को हैरान–परेशान करने पर तुले है तथा दीगर भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 21 से मिलकर बिना विधिक तकास्मा करवाये भूमि के बेशकीमती विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने पर आमादा हो रहे है, जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 को कोई हक, अधिकार किसी किस्म का नही है। उक्त भूमियों का तकास्मा कर प्रतिवादीगण को न्यायहित में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 को उक्त भूमि खसरा नम्बरान का विधिक तकास्मा कराने हेतु कई बार निवेदन किया। जिस पर पहले तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 राजस्व अधिकारियों से मिलकर आजकल में बंटवारा करवा लेने का आश्वासन देते रहे, परन्तु जब वादीगण ने करीब 5–6 दिन पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 को पुनः इस बाबत निवेदन किया, तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 ने स्पष्ट इंकार करते हुये वादीगण को एहलानियां धमकी दी कि हमने उक्त भूमि खसरा नम्बरान का बिना विधिक तकास्मा करवाये ही दीगर व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 21 को भूमि का बेचान कर दिया है तथा आगे भी करेंगे एवं दीगर व्यक्तियों को उक्त भूमि के बेशकीमती भू–भाग पर कब्जा कराकर, निर्माण करके रहेंगे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 को इस किस्म का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। वाद कारण पैदा होकर वादीगण के द्वारा उक्त दावा पेश करना लाजमी हुआ है। वादीगण ने काबिज काश्त होने से खातेदारी अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने तथा विधिक तकास्मा किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किये जाने और इसी अनुसार तकास्मा की डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण ने दावा वादीगण [illegible] प्रतिवादीगण निम्न रूपेण

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया है कि:– भूमि खसरा संख्या 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 कुल किता 10 कुल रकबा 3.49 हैक्टेयर एवं भूमि खसरा नम्बर 466, 467 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है, जिसका समस्त पक्षकारान वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 के मध्य दर्ज हक, हिस्सा, खातेदारी व कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड़ बंटवारा करवाया जाकर, वादीगण को उनके हक--हिस्सा--खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा इसी अनुसार अलग--अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर अलग–अलग लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग नक्शे में तरमीम किये जाने तथा प्रत्येक पक्षकार का अलग से बट्टा नम्बर डाला जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया गया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 21 की ओर से श्री सरदार सिंह चौधरी एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय जवाब दावा पेश किया गया एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 20 व 22 लगायत 25 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने प्रकरण में जवाब दावा पेश हो जाने तथा अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में पक्षकारान् की आपसी सहमति व वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

हमनें वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी। पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 कुल दो जमाबन्दियों में वर्णित विवरणानुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड सह खातेदार है। इस आधार पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों का कब्जे काश्त अनुसार कृषि भूमियों का विधिक विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सह खातेदारी में दर्ज कृषि भूमियों के हुये बाहमी बंटवारा अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 कुल किता 10 कुल रकबा 3.49 हैक्टेयर एवं भूमि खसरा नम्बर 466, 467 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर है, जिसका समस्त पक्षकारान वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 के मध्य दर्ज हक, हिस्सा, खातेदारी व कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड् बंटवारा करवाया जाकर, वादीगण को उनके हक–हिस्सा, खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा इसी अनुसार अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर अलग–अलग लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग नक्शे में तरमीम किये जाने तथा प्रत्येक पक्षकार का अलग से बट्टा नम्बर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर एक दूसरे का नाम् हजफ कर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग सींव कायम की जाकर नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु वादीगण [illegible] स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र प्राथमिक डिकी किया जाना [illegible]

Rathore
17/04/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य सह खातेदारी में दर्ज उक्त कृषि भूमियॉ भूमि खसरा संख्या 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 कुल किता 10 कुल रकबा 3.49 हैक्टेयर एवं भूमि खसरा नम्बर 466, 467 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है, जिसका समस्त पक्षकारान वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 के मध्य दर्ज हक, हिस्सा, खातेदारी व कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड् बंटवारा करवाया जाकर, वादीगण को उनके हक–हिस्सा–खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि का अलग से काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर एक दूसरे का नाम हजफ कर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जावे तथा अलग–अलग सींव कायम की जाकर नक्शे में तरमीम किये जावे तथा प्रत्येक पक्षकार का अलग से बट्टा नम्बर डाला जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जावे। विभाजन प्रस्ताव में खातेदारों को अपनी भूमियों में पहुँच हेतु रास्तों को भी ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावें। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व यथा सम्भव सुनवाई हेतु पक्षकारान् को नोटिस देकर सूचित करें।

विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के पत्रांकः राम/ न्याया/ स्था/ प–51/ 2008/ विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित करें। इस हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को देय फीस 1000/– रूपये मात्र पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रारम्भिक डिक्री अनुसार कुरेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
17/01/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (कास्ट कैंप)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रिपोर्ट तीन–तीन प्रतियों में मय नजरी नक्शे के भिन्न–भिन्न रंगों में दर्शाते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। इसी कदर डिक्री जारी हो।

( दिलीप सिंह )
सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( दिलीप सिंह )
सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.10 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested